

पत्रांक. 19/जी 1-01/2025 -21

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

प्रेषक,

प्रो० (डॉ०) एन०के० अग्रवाल,
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

कुलसचिव,
पटना विश्वविद्यालय, पटना।
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।
बी०आर०ए० बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।
जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा।
वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा।
भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा।
तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर।
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।
कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा।
मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना।
पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना।
पूर्णियाँ विश्वविद्यालय, पूर्णियाँ।
मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर।

पटना, दिनांक 28/08/2025

विषय :- वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत राज्य के सभी परम्परागत विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के माह अगस्त, 2025 के लिये वेतन भुगतान हेतु वेतनादि मद में रुपये 139.634/- (एक सौ उन्चालीस करोड़ तिरेसठ लाख चालीस हजार) मात्र सहायक अनुदान की विमुक्ति प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि शिक्षा विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या-133 दिनांक 17.07.2025 एवं शुद्धि पत्र संख्या 138 दिनांक 18.07.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत राज्य के परम्परागत विश्वविद्यालयों, अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों तथा अल्पसंख्यक/घाटानुदानित महाविद्यालयों में विधिवत् रूप से सृजित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त होकर कार्यरत शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन एवं अतिथि शिक्षकों के भुगतान हेतु वेतनादि मद में कुल रुपये 1385.769/- (एक हजार तीन सौ पचासी करोड़ छिहतर लाख नब्बे हजार) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

ज्ञातव्य हो कि विमुक्तादेश संख्या 04 दिनांक 19.07.2025 एवं शुद्धि पत्र संख्या 06 दिनांक 22.07.2025 द्वारा राज्य के परम्परागत विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर

कर्मियों को माह जून, 2025 एवं जुलाई, 2025 हेतु वेतनादि मद में रुपये 407.834 (चार सौ सात करोड़ तेरासी लाख चालीस हजार) मात्र विमुक्त की जा चुकी है।

2. स्वीकृत राशि के अन्तर्गत राज्य के सभी परम्परागत विश्वविद्यालयों एवं उनके अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों तथा अल्पसंख्यक घाटानुदानित महाविद्यालयों में विधिवत रूप से सृजित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त होकर कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के माह अगस्त, 2025 के लिये वेतन भुगतान हेतु स्वीकृत्यादेश संख्या 133 दिनांक 17.07.2025 एवं शुद्धि पत्र संख्या 138 दिनांक 18.07.2025 की कड़िका 06 में अंकित शर्तों एवं बंधेजो के अधीन विश्वविद्यालयवार निम्नवत् राशि विमुक्त की जा रही है :-

(राशि करोड़ में)

क्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम	विपत्र कोड	मह अगस्त, 2025 के लिए वेतनादि मद में विमुक्त की जा राशि
	1	2	3
1	पटना विश्वविद्यालय, पटना	21.2202.03.102.0001.31.04	10.58
2	मगध विश्वविद्यालय, बोध गया	21.2202.03.102.0002.31.04	14.67
3	बी0आर0ए0 बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फपुर	21.2202.03.102.0003.31.04	19.75
4	जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा	21.2202.03.102.0004.31.04	13.53
5	वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा	21.2202.03.102.0005.31.04	7.314
6	बी0एन0 मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा	21.2202.03.102.0008.31.04	7.58
7	तिलका मांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर	21.2202.03.102.0009.31.04	11.42
8	ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा	21.2202.03.102.0011.31.04	18.37
9	के0एस0डी0एस0 विश्वविद्यालय, दरभंगा	21.2202.03.102.0012.31.04	5.26
10	मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना	21.2202.03.102.0016.31.04	0.69
11	पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना	21.2202.03.102.0024.31.04	20.85
12	पूर्णियाँ विश्वविद्यालय, पूर्णियाँ	21.2202.03.102.0025.31.04	5.23
13	मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर	21.2202.03.102.0027.31.04	4.39
कुल राशि			139.634

3. वर्तमान में विमुक्त राशि से राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षकेतर कर्मचारियों को वेतनादि मद में राशि का भुगतान निम्नांकित शर्तों एवं बंधेजों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा :-

(i) वेतनादि का भुगतान वैसे ही शिक्षकों/शिक्षकेतर कर्मचारियों को किया जायेगा, जो विश्वविद्यालय सेवा में विधिवत रूप से सृजित पद पर नियमित रूप से नियुक्त होकर कार्यरत हैं।

(ii) दिनांक 01.01.1996 के बाद तथा दिनांक 19.04.2007 के पूर्व जिन शिक्षकों को भुगतान किया जा रहा है, उनकी प्रोन्नति में बिहार राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1976 के धारा 58 (10) के आलोक में आयोग की सहमति तथा 20.04.2007 से विश्वविद्यालय चयन समिति का अनुमोदन संबंधी परिनियमों में विहित प्रावधानों तथा विभागीय पत्रों के अधीन प्राप्त है।

(iii) वित्तीय वर्ष 2025-26 में विमुक्त राशि से जिन शिक्षकों का भुगतान किया जा रहा है, उनके वेतनादि का निर्धारण बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 यथा अद्यतन संशोधित की धारा 35 की उप धारा - 1 (ii) एवं पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 यथा अद्यतन संशोधित की धारा-35 की उप धारा 1 (ii) के प्रावधानों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमानों के आधार पर किया गया है तथा इसमें ऐसा कोई भत्ता सम्मिलित नहीं किया जाएगा, जिसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त नहीं है।

(iv) शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मियों के वेतनादि का भुगतान राज्य सरकार के संकल्प संख्या 591 दिनांक 06.03.2019 में अंकित निदेशों एवं शर्तों के आलोक में तथा उक्त संकल्प में स्वीकृत वेतन स्तर के आधार पर भुगतान किया जायेगा।

(v) विश्वविद्यालय अधिनियम के अन्तर्गत बने परिनियमों एवं राज्य सरकार के निदेशों एवं न्यायादेशों के अनुसार नियुक्ति एवं प्रोन्नति में वांछित अर्हता पूरी नहीं करने वाले शिक्षकों की वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक लगाते हुए वेतन का भुगतान किया जायेगा।

(vi) बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2012 की धारा- (02) के अनुसार केवल ऐसे प्रयोग प्रदर्शक को शिक्षक कोटि में माना जाना है, जो दिनांक 01.01.1973 के पूर्व स्वीकृत पदों पर दिनांक 18.09.1975 तक बिहार लोक सेवा आयोग या बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, पटना की अनुशंसा/सहमति से नियुक्त हुए थे।

(vii) शिक्षकेतर कर्मचारियों को कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ दिनांक-01.04.81 के पहले तथा 31.12.95 के बाद अनुमान्य नहीं है तथा इसमें राज्य कर्मियों के लिए निर्धारित सभी नियमों, बंधेजों तथा अन्य सभी शर्तों का विश्वविद्यालय द्वारा दृढ़तापूर्वक पालन किया जाना है। इसमें किसी भी प्रकार का ढील या फेरबदल विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया जायेगा। साथ ही

यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जिन शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को उच्चतर पद पर प्रोन्नति का लाभ मिल चुका हो उन्हें नियमों के विपरीत कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ नहीं दिया जायेगा।

(viii) बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा-35 के अधीन राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत किये गये वेतनमान से अधिक वेतनमान अनुमान्य किये जाने की शक्ति विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकार, परिनियत समिति तथा अधिकारी में निहित नहीं है। अतः विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा-35 में अंकित प्रावधानों के अधीन राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत वेतनमान से अधिक वेतनमान, किसी भी कर्मी को उच्च स्तरीय पद के वेतनमान में वेतनादि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(ix) स्वीकृत राशि का भुगतान विश्वविद्यालय स्तर पर किये जाने के समय माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या 5859/1996 में दिनांक 21.02.2000 तथा सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या 9839/2001 में दिनांक 16.10.2001 को पारित न्याय निर्णय, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सम्पुष्ट किया जा चुका है, का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इस क्रम में विभागीय स्तर से निर्गत पत्र संख्या 2086 दिनांक 09.11.2012 में अंकित निदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

(x) वैसे मामले जिनमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना/माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा विश्वविद्यालय के कर्मियों को भुगतान करने का स्पष्ट न्यायादेश है, तो उन मामलों में भी उपलब्ध करायी गयी राशि से विभाग से आदेश प्राप्त कर प्राथमिकता के आधार पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

(xi) विमुक्त की गयी वेतनादि की राशि में से देयता के पश्चात यदि राशि अवशेष रहती है तो विश्वविद्यालय के वैसे कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के बकाये वेतनादि लाभ का भुगतान विभागीय पत्रांक 699, दिनांक 19.03.2019 द्वारा दिए गये निदेश के आलोक में वेतन सत्यापन कोषांग से पूर्व अंकेक्षण कराकर किया जा सकेगा जो विश्वविद्यालय सेवा से विधिवत् रूप से नियुक्ति होकर कार्यरत हैं तथा जिन्हें विश्वविद्यालय अधिनियम एवं परिनियम के प्रावधानों के आधार पर स्वीकृत पदों के विरुद्ध भुगतान अनुमान्य हो।

(xii) स्वीकृत पदों पर विधिवत् रूप से नियुक्त सभी शिक्षकेत्तर कर्मियों को वेतन सत्यापन कोषांग से संशोधित अद्यतन वेतन पुर्जा निर्गत होने तक 25 प्रतिशत राशि की कटौती कर अवशेष राशि का भुगतान किया जाएगा।

(xiii) कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा द्वारा अंगीभूत एवं घाटानुदानित महाविद्यालय में स्वीकृत पद अंतर्गत विधिवत् रूप से कार्यरत शिक्षकों का वेतनानुदान देय होगा।

(xiv) उपर्युक्त कंडिकाओं में वर्णित शर्तों का विश्वविद्यालय अधिकारियों तथा संबंधित कर्मचारियों द्वारा पालन नहीं किये जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा न केवल संबंधित विश्वविद्यालय पदाधिकारियों एवं कर्मियों का वेतन भुगतान स्थगित किया जाएगा, बल्कि पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा -35 (3) तथा 52 (3) तथा अन्य विश्वविद्यालयों के मामलों में बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम- 35 (3) एवं 52 (6) के अंतर्गत अनुमान्यता से अधिक भुगतान की गयी राशि संबंधित विश्वविद्यालय अधिकारियों एवं कर्मचारियों से पब्लिक डिमान्ड रिक्वरी एक्ट के तहत वसूली की कार्यवाई की जायेगी एवं उनके विरुद्ध न केवल प्रशासनिक कार्यवाई बल्कि आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है।

4. शिक्षा विभाग के पत्र संख्या-वे0स0को0 4657/2013-57 दिनांक 13.02.15 में दिये गये निदेश के अनुपालन में वैसे शिक्षक जिनका वेतन सत्यापन हेतु आवेदन दिनांक 28.02.15 तक वेतन सत्यापन कोषांग को प्राप्त नहीं कराया गया है, मार्च 2015 से उनके मूल वेतन का 25 प्रतिशत राशि कटौती कर उन्हें वेतन भुगतान किये जाने का निदेश दिया गया है। तदनुसार ही वैसे शिक्षकों को कटौती सहित भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

विभाग द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों/शिक्षकेतर कर्मियों के लिए वेतन भुगतान हेतु पूर्ण राशि विमुक्त की जा रही है। जिन शिक्षकों के वेतन से कटौती की जा रही है, उन शिक्षकों/शिक्षकेतर कर्मियों के लिए स्वीकृत/विमुक्त राशि विश्वविद्यालय कोष में सुरक्षित रखी जाएगी।

5. विमुक्त की जा रही राशि से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 2703/2017 कृष्णानन्द यादव बनाम मगध विश्वविद्यालय, बोधगया एवं अन्य (एस0एल0पी0 संख्या 12591/2010) में दिनांक 31.08.2017 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में विभिन्न विभागीय आदेशों द्वारा अन्तर्लीनीकरण किये गए कर्मियों का ही नियमित वेतन भुगतान किया जायेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर अवमाननावाद संख्या 1188/2018 एवं अवमाननावाद संख्या 2199/2018 में दिनांक 11.07.2019 को पारित न्यायादेश के आलोक में माननीय न्यायमूर्ति एस0बी0 सिन्हा आयोग द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में जिन कर्मियों का सामंजन/अन्तर्लीनीकरण किया गया है, उनके बकाये वेतनादि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त का अनुपालन नहीं किये जाने की स्थिति में विश्वविद्यालय के कुलसचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

6. राशि की निकासी के कम में कोषागार में विपत्र प्रस्तुत करते समय विश्वविद्यालय द्वारा निम्नांकित प्रमाण पत्र कोषागार को दिया जाएगा:—

(क) “ चतुर्थ चरण अंतर्गत महाविद्यालय में माननीय न्यायमूर्ति एस0सी0 अग्रवाल कमीशन के अनुशंसा के आलोक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 6098/1997 में दिनांक 12.10.2004 को पारित न्यायादेश के पश्चात सामंजित किये गये कर्मियों के अतिरिक्त अन्य कर्मियों का विपत्र नहीं है।”

(ख) “ न्यायामूर्ति एस0बी0 सिन्हा आयोग के अनुशंसा के आलोक में सिविल अपील संख्या 2703/2017 में दिनांक 31.08.2017 को पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय निदेश के उपरान्त सामंजित कर्मियों के नियमित वेतन अंतर्गत अन्य अतिरिक्त कर्मियों का विपत्र नहीं है।”

7. भारतीय अंकेक्षण तथा लेखा विभाग और राज्य सरकार के वित्त (अंकेक्षण) विभाग को स्वीकृत एवं विमुक्त राशि से किये गये भुगतान का अंकेक्षण किये जाने का पूर्ण अधिकार होगा।

8. विश्वविद्यालय द्वारा विमुक्त की जा रही राशि का विचलन किसी अन्य मद में नहीं किया जाएगा।

9. विश्वविद्यालय के वैसे ही शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को वेतन का भुगतान Pay Verification Cell से Generated वेतन पुर्जा के आधार पर किया जाएगा, जिनसे संबंधित सूचना/ऑकड़ा Pay Roll Management Portal पर अपलोड है।

10. विश्वविद्यालय के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी जो NPS से आच्छादित है, का भुगतान PRAN NO प्राप्त हो जाने के पश्चात एवं NPS के अंतर्गत अनुमान्य कटौतियों के बिना नहीं होगा।

11. विश्वविद्यालय में अनुकम्पा के आधार पर हुई नियुक्ति से संबंधित कार्रवाई साक्ष्य/अभिलेख विभाग को उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में विश्वविद्यालय अनुकम्पा पर नियुक्त कर्मियों का भुगतान तब तक नहीं करेगा जबतक इन अनुकम्पा कर्मियों की नियुक्ति की सहमति विभाग द्वारा प्राप्त नहीं कर लिया गया हो।

12. विश्वविद्यालय द्वारा विमुक्त की जा रही राशि का व्यय समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जाएगा।

13. विश्वविद्यालय 18 माह पूर्व निर्गत स्वीकृत्यादेश से संबंधित संपूर्ण उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को निश्चितरूपेण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा। उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अन्य वैधिक कृत्य ससमय नहीं किये जाने की स्थिति में सारी जवाबदेही संबंधित कुलपति/कुलसचिव/वित्त परामर्शी एवं वित्त पदाधिकारी की होगी।

14. वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या 6487 दिनांक 21.07.2017 के आलोक में विमुक्त की जा रही राशि संबंधित विश्वविद्यालयों के पी0एल0 खातों में उपलब्ध करा दी जाएगी।

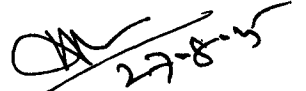
15. राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश संख्या 2561, दिनांक 17.04.1998, वित्तीय वर्ष 2023-24 में निधि निकासी एवं व्यय नियंत्रण की व्यवस्था संबंधित पत्रांक 3151 दिनांक 31.03.2023 एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के अनुरूप किया जाएगा।

16. विमुक्तादेश वित्त विभागीय संकल्प संख्या 12888 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका 06 (छः) के आलोक में निर्गत की जा रही है।

17. प्रत्येक माह उतनी ही राशि की निकासी कर पी0एल0 खाते में अंतरण किया जाएगा, जितना की उक्त माह में दायित्वों के भुगतान हेतु आवश्यक होगा।

18. भारतीय अंकेक्षण तथा लेखा विभाग और राज्य सरकार के वित्त (अंकेक्षण) विभाग को यह अधिकार होगा कि वे इस स्वीकृत एवं विमुक्त राशि से किये गये भुगतान का अंकेक्षण करें।

विश्वासभाजन


(एन0के0 अग्रवाल)
निदेशक, उच्च शिक्षा